



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़
(इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-2, भूतल, नया रायपुर)

☎ 0771-2423507 फ़ैक्स: 0771-2422627

क्रं. 97 / 2016 / आ.सा.सं. / जीवनांक
प्रति,

रायपुर, दिनांक 13 / 1 / 2016

समस्त
जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) /
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय,
छत्तीसगढ़

- विषय :- जन्म/मृत्यु पंजीयन रिकार्ड में ट्रांसजेंडर का समावेश तथा एकल माता/पिता के बच्चों को पंजीयन किए जाने के संबंध में।
- संदर्भ :- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली, का पत्र क्रं. 250 दिनांक 16.2015 एवं पत्र क्रं. 370 दिनांक 31.12.2015

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं :-

- मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली जारी निर्देशानुसार जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के रिपोर्टिंग प्रपत्र में Male, Female के साथ Transgender का उल्लेख किए जाने का निर्देश प्राप्त है। अतएव प्रपत्र 1, 2, 3 तथा प्रपत्र 5 व 6 में कालेंम Male, Female के साथ Transgender का भी उल्लेख करें।
- मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एकल माता या पिता द्वारा किसी बच्चे का जन्म पंजीयन करावाना चाहता है तो उसका भी पंजीयन अवश्य करावें।

अतएव उपरोक्तानुसार कार्रवाई किए जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त रजिस्ट्रारों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(Handwritten Signature)

संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़ रायपुर
रायपुर, दिनांक 13 / 1 / 2016

पृ0 क्रं. 98 / 2016 / आ.सा.सं. / जीवनांक
प्रतिलिपि :

- भारत के उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली
- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)

संयुक्त संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

“प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन अवश्यक करावें” छत्तीसगढ़ रायपुर

